"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010— आश्विन 30, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बजरंग दास मानिकपुरी आ. श्री तारन दास मानिकपुरी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 1-एफ, सड़क नं.-80, सेक्टर-6, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भूलवश मेरी पत्नी श्रीमती ताशश्रेणी के नाम के आगे सरनेम (उपनाम) छूट गया है. जिसे सुधार कर श्रीमती ताशश्रेणी मानिकपुरी दर्ज करवाना चाहता हूं. जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पत्नी को श्रीमती ताशश्रेणी मानिकपुरी पति बजरंग दास मानिकपुरी के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती ताशश्रेणी पति-बजरंग दास मानिकपुरी निवासी-क्वार्टर नं.-1-एफ सड़क नं.-80, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती ताशश्रेणी मानिकपुरी पति-बंजरंग दास मानिकपुरी निवासी-क्वार्टर नं.-1-एफ सड़क नं.-80, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भेषज कुमार ग्वालेन्द्र आत्मज श्री चम्पालाल साहू, उम्र-29 वर्ष, निवासी-सुभाष नगर, शिव मंदिर, ताज किराना स्टोर्स के पास, दुर्ग, तहं. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैंने अपने स्वयं के नाम से पेनकार्ड बनवाया है, जिसका पेन नं.-BBHPS 2954 J है. मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम अंग्रेजी में सही नाम- BHESHAJ KUMAR GWALENDRA के स्थान पर त्रुटिवश BHESHAJ KUMAR SAHU अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जिसे सही अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे भेषज कुमार ग्वालेन्द्र (BHESHAJ KUMAR GWALENDRA) आ. चम्पा लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
भेषज कुमार साहू	भेषज कुमार ग्वालेन्द्र
BHESHAJ KUMAR SAHU	BHESHAJ KUMAR GWALENDRA
आ.-श्री चम्पा लाल साहू	आ.-श्री चम्पा लाल साहू
निवासी-सुभाष नगर, शिव मंदिर,	निवासी-सुभाष नगर, शिव मंदिर,
ताज किराना स्टोर्स के पास	ताज किराना स्टोर्स के पास
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /194/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.—आवेदक क्रिरिस्ट चरन सेनापति द्वारा डेलीभेरेंस चेरीटेबल ट्रस्ट अयोध्या नगर, पूर्वाचल नगर, पोस्ट नं. 20 रायपुर ने डेलीभेरेंस चेरी टेबल ट्रस्ट अयोध्या नगर, पूर्वाचल नगर, पोस्ट नं. 20 रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा - 4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने का इच्छुक हो तो वे दिनांक 18-10-2010 तक न्यायालीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित बक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	डेलीभेरेंस चेरीटेबल ट्रस्ट अयोध्या नगर, पूर्वाचल नगर, पोस्ट नं. 20 रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	10,000 रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09-09-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक/मा. चि./10454.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर कवर्धा परिक्षेत्र के दियाबार बीट हेतु चालान क्रमांक के. डी./16 दिनांक 01-12-94 द्वारा जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री शंकर लाल विश्वकर्मा, वन रक्षक द्वारा वनक्षेत्र में भ्रमण के दौरान उक्त हेमर जंगल में कहीं पर गिर गया. गुमशुदा हेमर की खोजबीन किया गया लेकिन उक्त हेमर नहीं मिला.

परिक्षेत्र अधिकारी, कवर्धा के पत्र क्रमांक 968 दिनांक 30-09-2010 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.

आदेश

आदेश क्रमांक-1103 कवर्धा, दिनांक 8-10-2010

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 198 रुपये वन रक्षक श्री शंकर लाल विश्वकर्मा, परिसर रक्षक, दियाबार से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रवाली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

ए. के. श्रीवास्तव,
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.